

(1)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 (कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-2778 / प्र0आ0 / सिं0वि0 / का0-2 / ई-23 / रथा0

दिनांक 08 जून 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित जिलेदारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सि0	नाम/जन्मातीशि/ मृग जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
01	श्री हरकिशन लाल 30.06. 1964 / नैनीताल	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर।	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विधेयक-2017 की धारा-07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा-7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यमार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हों

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यमार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अपील दिए गए किसी आदेश या निर्देश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
 मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

6.6.18

8/6/18

8

संख्या:-2778 / प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उधम सिंह नगर, /पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, /लोहाघाट।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाइल हेतु।

S
anu

(मोहन चन्द्र पाण्डे)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता,

0. 6. 18

8/6/18

२

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
कार्मिक अनुशासन-२) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: २९९८/प्र०३०/सिंच०/का०-२/ई-२१५/स्था०

दिनांक ०८-०६-२०१८

— कार्यालय ज्ञाप —

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसार राजसव अधिकारी अनुशासन में कार्यरत निम्नलिखित जिलेदारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-३ में उल्लिखित कार्यालय से कालम-४ में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क० स०	नाम/जननातिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	२	३	४	५	
०१	श्री राजेन्द्र सिंह ०६.०९.१९६३/ जंधपसिंह नगर	सिंचाई खण्ड, सिटांरगज।	सिंचाई खण्ड, रानीखेत।	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण विभेद्यक-२०१७ की धारा-०७ के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा-७ (ग) में निहित प्राविधानानुसार वर्तमान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष अथवा १० वर्ष जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-२०१७ में निहित निम्नानुसार प्रविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनरथ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

१. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सम्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
२. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
४. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
५. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
६. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
७. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को “सरकारी आचरण नियमावली” का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध “उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-२००३ (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
८. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,२००३ (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन०क० शर्मा
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)

४-६-१८

४/६/१८

४

(4)

संख्या:-2998 / प्र०३० / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उधम सिंह नगर, /अल्मोड़ा
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सितरामज /रानीखेत/
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विणागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

(मोहन-चन्द्र पाण्डे)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

०- ६. १०

८१६१८